



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 630589

समक्ष : सयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति / मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत मोबिलटी उपयोगार्थ
वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्ध—पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निहित गतिविधियों उपयोगार्थ मासिक किराये के आधार पर व्याहन—उपलब्ध कराये जाने हेतु विज्ञापित निविदा में अनुमोदित दरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मोबिलिटी उपयोगार्थ व्याहन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमत होने की दशा में यह अनुबन्ध—पत्र डा० नरेन्द्र अग्रवाल, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ (प्रथम पक्ष) तथा श्री आर० बी० सिंह, प्रबन्धक / प्रोपराइटर, मेसर्स मैक्स सर्विसेज, सी-1417/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ (द्वितीय पक्ष) के मध्य निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्पादित किया जाता है :-


1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध—पत्र निष्पादित होने/कार्यादेश प्राप्त होने की तिथि से 3 दिवसों के अन्दर निश्चित चिकित्सालयों पर निविदा में उल्लिखित सेवायें उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी जिसका अनुपालन न किये जाने की दशा में प्रथम पक्ष एवं उसकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आर्थिक दण्ड अथवा प्रतिबन्ध लागू किया जायेगा जो प्रथम पक्ष को मान्य होगा तथा दण्ड स्वरूप धरोहर धनराशि जब्त भी की जा सकती है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सामान्य रूप से वाहनों का चालन न्यूनतम् 8 Hours Per Working Day तथा न्यूनतम् 1000 Km. प्रति माह (जिसमें वाहन चालक का वेतन, वाहन का रखरखाव एवं पी०ओ०एल० इत्यादि समिलित है) अनिवार्य है जिसके फलस्वरूप निविदा में अनुमोदित दरानुसार Sedan Model (AC) ₹. 26,900/- मासिक की धनराशि देय होगी। उक्त अवधि से कम चालन की दशा में मासिक देय धनराशि के भुगतान में समानुपातिक कटौती करते हुए तदनुसार देय धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ केवल टैक्सी परमिट धारक एवं कार्मिशील वाहन ही उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त वाहनों का इकाईवार पूर्ण विवरण यथा वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर, वाहन का पंजीयन—पत्र, फिटनेस, इन्स्योरेन्स इत्यादि का पूर्ण विवरण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने पैड पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रथम पक्ष द्वारा लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।
4. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन बिना परमिट पाये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व फर्म का मानते हुए अनुबन्ध निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये फर्म पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
5. प्रत्येक वाहन कम से कम 25 कार्य दिवस (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) उपलब्ध रहेगा। यदि किसी कारणवश टीम ब्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा।
6. वाहन चालक के पास वैध ट्रान्सपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
7. वाहन ऐसा होगा जिसमें टीम के 4 सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की समुचित व्यवस्था होगी।


For MAX SERVICES

T. R. Bandyopadhyay
Proprietor


8. आरोबी०एस०के० के अन्तर्गत वाहन को माह में कम से कम 1000 Km. चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक लेकर जाना होगा। यदि वाहन 1000 Km. से कम चलती है तो अनुपातक भुगतान किया जायेगा।
 9. सभी वाहन अनिवार्य रूप से GPRS युक्त होंगे। GPRS का डेटा सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय को बीजक के साथ उपलब्ध कराया जायेगा। मासिक भुगतान करने हेतु लॉग-बुक/ड्यूटी स्लिप एवं GPRS डाटा का सत्यापन जनपदीय नोडल अधिकारी (आरोबी०एस०के०) द्वारा किया जायेगा।
 10. आरोबी०एस०के० के अन्तर्गत संचालित वाहनों पर आरोबी०एस०के० लोगो अनिवार्य रूप से चर्सा किया जायेगा।
 11. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों में पर्याप्त भात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में उपयोगकर्ता से ईंधन हेतु नगद अथवा किसी अन्य रूप में धनराशि नहीं माँगी जायेगी।
 12. सेवा प्रदाता को अनुबन्ध के अनुसार धनराशि देय होगी। इसके अतिरिक्त वाहन चालक का मानदेय, टॉल टैक्स, मेन्टेनेन्स, टूट-फूट इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी जिसके लिये कोई दावा विभाग पर मान्य नहीं होगा।
 13. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन 2014 से पूर्व के नहीं होनी चाहिए तथा टेंडर डाक्यूमेन्ट के साथ उपलब्ध करायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस की वाहन लॉग-बुक/भ्रमण पंजिका का विवरण अंकित किया जायेगा जिसे उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा उपयोग के उपरान्त तुरन्त सत्यापित किया जायेगा।
 15. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके वाहन का उपयोग उक्त प्रयोजनार्थ केवल प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाये, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये गये वाहन के चालन के फलस्वरूप किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
 16. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन को चालू हालत में रखने हेतु नियमित रूप से इसकी साफ सफाई व आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा। इस नियमित जाँच हेतु यदि वाहन को गैरेज में भेजा जाता है तो उस अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य समकक्ष वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
 17. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे से अधिक समय तक न होने पर द्वितीय पक्ष को भुगतान की जाने वाली मासिक धनराशि में से रु० 1000/- प्रति दिन की दर से अर्थ-दण्ड आरोपित किया जायेगा, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
 18. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन चालक का मय वाहन सहित फोटों तथा स्वप्रमाणित वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाइल नम्बर की सूचना अनिवार्य रूप से प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।
 19. यह कि यह अनुबन्ध-पत्र दिनांक ०८/०५/२०१८ से आगामी 2 वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा। अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/ जिलाधिकारी, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त ही अग्रिम अवधि तक सेवायें प्राप्त की जायेंगी। किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र जनपद-लखनऊ होगा।
- उपरोक्त नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर उभयपक्ष की आपसी सहमति के उपरान्त यह अनुबन्ध-पत्र आज दिनांक ०८/०५/२०१८ को निम्नलिखित गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया ताकि सनद रहे एवं वक्त जरुरत काम आये।

For MAX SERVICES हस्ताक्षर-द्वितीय पक्ष


(आरोबी०एस०के०)


... मुख्य श्री राज बहादुर रिह
निवासी भवन संख्या : सी-१४१७/४, इन्दिरा नगर,
ताहसील-सादर, पुलिस स्टेशन-गाजीपुर
पोस्ट-आरोबी०एस०के० नगर, जनपद-लखनऊ
मोबाइल नम्बर ९५३२२३७९७
गवाह (द्वितीय पक्ष की ओर से)

Shri/ Shriamti. Mangal K. Gupta
पिता/पत्नी/पुत्री S/o Mr. S.N. Gupta.
निवासी भवन संख्या ३/५९९ Sec ३ Vikas Nagar
पुलिस स्टेशन Vikas Nagar, जनपद Lucknow
मोबाइल नम्बर ७९०५३७७२००

हस्ताक्षर-प्रथम पक्ष


(ज्ञान नरेन्द्र अग्रवाल)

संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य
मिशन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर

गवाह (प्रथम पक्ष की ओर से)


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद लखनऊ
मोबाइल नम्बर ९४१५४५८७२२



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष : सयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति / मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ 630590

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबिलटी उपयोगार्थी

वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्ध—पत्र

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निहित गतिविधियों उपयोगार्थ मासिक किराये के अधीर पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु विज्ञापित निविदा में अनुमोदित दरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मोटोलिटी उपयोगार्थ वैहेन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमत होने की दशा में यह अनुबन्ध—पत्र डा० नरेन्द्र अग्रवाल, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति /मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ (प्रथम पक्ष) तथा श्री आर० बी० सिंह, प्रबन्धक/प्रोपराइटर, मेसर्स मैक्स सर्विसेज, सी-१४१७/४, इन्दिरा नगर, लखनऊ (द्वितीय पक्ष) के मध्य निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्पादित किया जाता है:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध—पत्र निष्पादित होने/ कार्यादेश प्राप्त होने की तिथि से 3 दिवसों के अन्दर निश्चित चिकित्सालयों पर निविदा में उल्लिखित सेवायें उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी जिसका अनुपालन न किये जाने की दशा में प्रथम पक्ष एवं उसकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार आर्थिक दण्ड अथवा प्रतिबन्ध लागू किया जायेगा जो प्रथम पक्ष को मान्य होगा तथा दण्ड स्वरूप धरोहर धनराशि जब्त भी की जा सकती है।
 2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सामान्य रूप से वाहनों का चालन न्यूनतम् 8 Hours Per Working Day तथा न्यूनतम् 1000 Km. प्रति माह (जिसमें वाहन चालक का वेतन, वाहन का रखरखाव एवं पी0ओ0एल0 इत्यादि सम्मिलित है) अनिवार्य है जिसके फलस्वरूप निविदा में अनुमोदित दरानुसार Sedan Model (AC) ₹. 26,900/- मासिक की धनराशि देय होगी। उक्त अवधि से कम चालन की दशा में मासिक देय धनराशि के भुगतान में समानुपातिक कटौती करते हुए तदनुसार देय धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 3. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ केवल टैक्सी परमिट धारक एवं कामर्शियल वाहन ही उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त वाहनों का इकाईवार पूर्ण विवरण यथा वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर, वाहन का पंजीयन—पत्र, फिटनेस, इन्स्योरेन्स इत्यादि का पूर्ण विवरण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने पैड पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रथम पक्ष द्वारा लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।
 4. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन बिना परमिट याये जाने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व फर्म का मानते हुए अनुबन्ध निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये फर्म पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
 5. प्रत्येक वाहन कम से कम 25 कार्य दिवस (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) उपलब्ध रहेगा। यदि किसी कारणवश टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में किया जायेगा।
 6. वाहन चालक के पास वैध ट्रान्सपोर्ट ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
 7. वाहन ऐसा होगा जिसमें टीम के 4 सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की समुचित व्यवस्था होगी।


For MAX SERVICES

~~R. B. Bough
Proprietor~~

8. आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत वाहन को माह में कम से कम 1000 Km. चलना होगा तथा सन्दर्भित बच्चों को जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक लेकर जाना होगा। यदि वाहन 1000 Km. से कम चलती है तो अनुपातक भुगतान किया जायेगा।
9. सभी वाहन अनिवार्य रूप से GPRS युक्त होंगे। GPRS का डेटा सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय को बीजक के साथ उपलब्ध कराया जायेगा। मासिक भुगतान करने हेतु लॉग-बुक/ड्यूटी स्लिप एवं GPRS डाटा का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
10. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में उपयोगकर्ता से ईंधन हेतु नगद अधिवा किसी अन्य रूप में घनराशि नहीं माँगी जायेगी।
11. सेवा प्रदाता को अनुबन्ध के अनुसार घनराशि देय होगी। इसके अतिरिक्त वाहन चालक का मानदेय, टॉल टैक्स, मेन्टेनेन्स, टूट-फूट इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी जिसके लिये कोई दावा विभाग पर मान्य नहीं होगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन 2014 से पूर्व के नहीं होनी चाहिए तथा टेंडर डाक्यूमेन्ट के साथ उपलब्ध करायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस की वाहन लॉग-बुक/ भ्रमण परिका का विवरण अकिञ्चित किया जायेगा जिसे उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा उपयोग के उपरान्त तुरन्त सत्यापित किया जायेगा।
14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन के चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके वाहन का उपयोग उक्त प्रयोजनार्थ केवल प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाये, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये गये वाहन के चालन के फलस्वरूप किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
15. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन को चालू हालत में रखने हेतु नियमित रूप से इसकी साफ सफाई व आवश्यक रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा। इस नियमित जाँच हेतु यदि वाहन को गैरेज में भेजा जाता है तो उस अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य समकक्ष वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
16. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था 24 घण्टे से अधिक समय तक न होने पर द्वितीय पक्ष को भुगतान की जाने वाली मासिक घनराशि में से रु० 1000/- प्रति दिन की दर से अर्थ-दण्ड आरोपित किया जायेगा, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
17. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन चालक का मय वाहन सहित फोटो तथा स्वप्रमाणित वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाइल नम्बर की सूचना अनिवार्य रूप से प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. यह कि यह अनुबन्ध-पत्र दिनांक ०५/०५/२०१८ से आगामी 2 वर्ष तक की अवधि के लिये प्रमाणी रहेगा। अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/ जिलाधिकारी, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त ही अग्रिम अवधि तक सेवायें प्राप्त की जायेंगी। किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र जनपद-लखनऊ होगा।

उपरोक्त नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों पर उभयपक्ष की आपसी सहमति के उपरान्त यह अनुबन्ध-पत्र आज दिनांक ०५/०५/२०१८ को निम्नलिखित गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया ताकि सनद रहे एवं वक्त जरुरत काम आयें।

For MAX SERVICES


(आर० बी० सिंह)

पुत्र श्री राज बहादुर सिंह


निवासी भवन संख्या : सी-१४१७/४, इन्दिरा नगर.

तहसील-सदर, पुलिस स्टेशन-गाजीपुर

पोस्ट-आर०एस०एम० नगर, जनपद-लखनऊ

मोबाइल नम्बर 9532237917

गवाह (द्वितीय पक्ष की ओर से)



श्री/श्रीमती/कु० : Manoj K. Gupta.

पिता/पत्नी/पुत्री : S/o Mr. S.N. Gupta.


निवासी भवन संख्या : ३/५९९ Sec 3 Vikash Nagar Ltd.

पुलिस स्टेशन Vikas Nagar.

पोस्ट Vikas Nagar, जनपद Lucknow.

मोबाइल नम्बर ७९८५३७७२१०.

हस्ताक्षर-प्रथम पक्ष



(डॉ नरेन्द्र अग्रवाल)

संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद लखनऊ

मोबाइल नम्बर

गवाह (प्रथम पक्ष की ओर से)



अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जनपद लखनऊ

मोबाइल नम्बर

SUPPORTIVE SUPERVISION VEHICLE HIRING-BLOCK WISE INFORMATION 2018-19

S.NO.	NAME OF DIVISION	NAME OF DISTRICT	BLOCK NAME	VEHICLE NO.	DATE OF HIRING	AGREEMENT COPY ATTACHED
1	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट	UP32EN9389	01-04-18	
2	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरोजनीनगर	UP32KN0575	01-04-18	
3	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माल	UP32FN0185	01-04-18	
4	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनलालगंज	UP32FR0030	01-04-18	
5	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोरी	UP32HN4851	01-04-18	
6	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वक्शी का तालाब	UP32FN0843	01-04-18	
7	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोमाईगंज	UP32GN9742	01-04-18	
8	LUCKNOW	LUCKNOW	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद	UP32HN0915	01-04-18	

25/11/19

SUPPORTIVE SUPERVISION VEHICLE HIRING-DISTRICT LEVEL INFORMATION 2018-19

S.NO.	NAME OF DISTRICT	NAME OF AGREEMENT SIGNING OFFICER	VEHICLE NO.	DATE OF HIRING	AGREEMENT COPY ATTACHED
1	LUCKNOW	DR.AJAY RAJA	UP32FN3060	01-04-18	
2	LUCKNOW	STAFF FOR MONITERING	UP32EN4738	01-04-18	

Chief Medical Officer

~~25/11/19~~